

उत्तराखण्ड शासन  
 वित्त अनुभाग—8  
 संख्या /2016/01(A)(120)/XXVII(8)/2001  
 देहरादूनः दिनांकः ॥ फरवरी, 2016

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची—II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

### संशोधन

अनुसूची—II(ख) के क्रमांक 137 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्—


क्र0सं0	माल का विवरण	कर की दर
137	ईटे(ब्रिक्स)	5 प्रतिशत या ₹250 प्रति हजार, जो भी अधिक हो

(अमित सिंह नेगी)  
 सचिव।

सं0।33/2016/01(A)(120)/XXVII(8)/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4— सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5— एन0आई0सी0
- 6— गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,  
  
 (हीरा सिंह बसेड़ा)  
 अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 33/2016/ 01(A)(120)/XXVII(8)/2001 dated 11 February, 2016 for general information

**Government of Uttarakhand**

**Finance Section-8**

**No 33/2016/ 01(A)(120)/XXVII(8)/2001**

**Dehradun :: Dated :: 11 February, 2016**


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-II(B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

**Amendment**

In Schedule II(B), for the existing entry at serial no. 137, the following entry shall be substituted; namely -

Sl. No.	Description of goods	Rate of tax
137	Bricks	5 percent or ₹250 per thousand, whichever is more

  
(Amit Singh Negi)  
Secretary.